



Neutral Citation No - 2026:AHC:28547

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट-ए संख्या - 2026 की 1877

अंशुल कुमार एवं 8 अन्य
बनाम

.....याचिकाकर्तागण

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अनुज बाजपेई
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल बाजपेई एवं राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ताओं की व्यथा यह है कि उन्होंने स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में एक प्रशिक्षण अवधि पूर्ण की है। तथापि, परिपत्र दिनांकित 20.03.2020 के अनुसार उन्हें एक वर्ष के प्रशिक्षण का पारिश्रमिक संदत्त नहीं किया गया है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का यह कथन है कि रिट याचिकाकर्ताओं के दावे का प्रथमतः प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा अवधारण किया जाना अपेक्षित है।
4. न्यायालय के समक्ष किए गए उक्त निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिकाकर्ताओं को यह निर्देशित करते हुए रिट याचिका निस्तारित की जाती है कि वे रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति तथा आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष प्रस्तुत करें, जो उक्त आवेदन पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, विधि अनुसार कड़ाई से रिट याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार करने हेतु अग्रसर होंगे।

10 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"